

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

स्वीकृत्यादेश

पत्रांक: यो09/S.H.A-08/2024
सेवा में,

922 एवो

/यो0वि0, पटना, दिनांक 28 मार्च, 2025

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय: मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अन्तर्गत राज्य के सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र एवं केन्द्रीयकृत स्तर पर अनुश्रवण, निगरानी एवं समन्वय स्थापित करने के लिए स्थापित किए जा रहे Command & Control Centre and Video Conference Solutions के संचालन हेतु Network Connectivity के Secondary Link के Bandwidth विस्तार के लिए M/s Reliance Jio Infocomm Pvt. Ltd. को मो0 1,04,12,539.00 (एक करोड़ चार लाख बारह हजार पाँच सौ उनचालीस रुपये) मात्र के योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सरकार के सात निश्चय के अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17 से किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र स्थापित है जहाँ पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित आवेदकों का निबंधन एवं उनके कागजातों का सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-955 दिनांक-15.12.2020 द्वारा इस योजना को आगे भी जारी रखने का निर्णय सैद्धांतिक रूप से लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए सैद्धांतिक निर्णय के आलोक में योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-1141 दिनांक-23.03.2021 द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले पाँच वर्षों (2021-22 से 2025-26) तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

3. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अन्तर्गत राज्य के सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र को केन्द्रीयकृत स्तर पर निगरानी, अनुश्रवण एवं समन्वय स्थापित करने हेतु Command & Control Centre and Video Conference Solution की स्थापन की जा रही है, जिसके माध्यम से सुचारु रूप से राज्य के सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र को Video Conference Solution के माध्यम से अनुश्रवण किया जाएगा। Command & Control Centre and Video Conference Solution के संचालन हेतु Network Connectivity की Secondary Link की अतिरिक्त Bandwidth की आवश्यकता है।

4. वर्तमान में राज्य के सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र सहित कुल 41 स्थानों पर Network Connectivity की Secondary Link की सेवा M/s Reliance Jio Infocomm Pvt. Ltd. द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। M/s Reliance Jio Infocomm Pvt. Ltd. द्वारा उपलब्ध करायी जा रही Bandwidth पर राज्य के सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र एवं Command and Control Center & Video Conference Solution के संचालन संभव नहीं है। उक्त के आलोक में सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र एवं Command and Control Center & Video Conference Solution के संचालन के लिए Bandwidth का विस्तार किया जा रहा है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

P.T.O

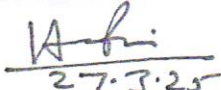
Description	Unit	Bandwidth (Mbps)	Unit Charges	Base Amount	GST	Total
Cost for Fiber Cable Laying for CCC	1		895000	895000	161100	1056100
Command & Control Centre	1	400	0	0	0	0
DRCC	38	20	16970.30	7738457	1392922	9131379
State Data Centre (Hub)	1	400	0	0	0	0
Suchana Bhawan	1	4	3394.06	40728.72	7331.17	48060
State Data Centre (IIL)	1	40	12500	150000	27000	177000
Total						10412539

5. उपर्युक्त के आलोक में सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र एवं Command and Control Center & Video Conference Solution के संचालन हेतु M/s Reliance Jio Infocomm Pvt. Ltd. को Network Connectivity की Secondary Link का Bandwidth विस्तार हेतु कुल मो 1,04,12,539.00 (एक करोड़ चार लाख बारह हजार पाँच सौ उनचालीस रुपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

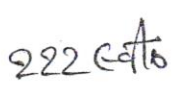
6. इस पर होने वाला व्यय मुख्यशीर्ष-2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष-0103-योजना तंत्र का सुदृढीकरण, मांग संख्या-35, विपत्र कोड-35-2052000900103 विषय शीर्ष 13-01 कार्यालय मद के तहत उपबंधित राशि से किया जाएगा।

7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

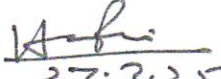
8. उक्त पर प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या-यो09/S.H.A-08/2024 के टिप्पणी पृष्ठ-46/टि० पर प्राप्त है।


27.3.25
(हिमांशु कुमार राय)

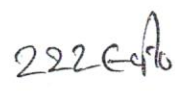
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-08/2024 222 
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

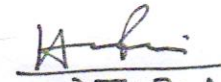
/यो0वि0,पटना, दिनांक 28 मार्च, 2025


27.3.25

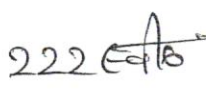
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-08/2024 222 
प्रतिलिपि: निदेशक, M/s Reliance Jio Infocomm Pvt. Ltd., को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

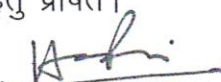
/यो0वि0,पटना, दिनांक 28 मार्च, 2025


27.3.25

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-08/2024 222 
प्रतिलिपि: विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग/विभागीय लेखा एवं बजट शाखा/आईटी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/यो0वि0,पटना, दिनांक 28 मार्च, 2025


27.3.25

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-08/2024 222 एवी0 /यो0वि0,पटना, दिनांक 28 मार्च, 2025
प्रतिलिपि: सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-08/2024 222 एवी0 /यो0वि0,पटना, दिनांक 28 मार्च, 2025
प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-08/2024 222 एवी0 /यो0वि0,पटना, दिनांक 28 मार्च, 2025
प्रतिलिपि: मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-08/2024 222 एवी0 /यो0वि0,पटना, दिनांक 28 मार्च, 2025
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-08/2024 222 एवी0 /यो0वि0,पटना, दिनांक 28 मार्च, 2025
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-08/2024 222 एवी0 /यो0वि0,पटना, दिनांक 28 मार्च, 2025
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(16) 31.12.1965